न्यायालय अखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास - इन्द्राजसिंह R.A.S.

वाद संख्या - 97/2019

निर्णय दिनांक - 11.12.19

1. रामनिवास
2. जयप्रकाश] पुत्रगण रामसिंह जाति जाट निवासीगण किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू -वादी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र शेरूराम जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब राजगढ़ (चूरू) -प्रतिवादीगण

4. सुशीला
5. रोशनी
6. सन्तोषदेवी] पुत्रियां रामसिंह जाति जाट निवासी किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू -गौण प्रतिवादीनी

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

उपस्थित :- 1. श्री कुन्दन यादव अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " बलवान शर्मा अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 3.

निर्णय

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि गत खo नo 169/58 तादादी 59 बीघा 10 बिस्वा व गत खo नo 74 तादादी 13 बीघा 11 बिस्वा रोही मौजा किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है जो वादीगण के दादा शेरूराम की 1/2 हिस्सा की खातेदारी कृषि भूमि है। यही विवादित कृषि

इसके वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकार्ड सर्वे व भू प्रबन्ध विभाग बीकानेर डेरा सम्वत 2062 में गत ख० नं० 169/58 मीन के हाल ख० नं० 154 तादादी 0.01 हैं० तथा ख० नं० 169/58 मीन के हाल ख० नं० 155 तादादी 0.05 हैं० तथा ख० नं० 169/58 मीन के हाल ख० नं० 156 तादादी 11.45 हैं० तथा गत ख० नं० 74 के हाल ख० नं० 204 तादादी 3.43 हैं० रोही मौजा किरतान बने। बाद विभाजन ख० नं० 497/155 मी० तादादी 0.0250 हैं० व ख० नं० 499/363 तादादी 0.1600 हैं० व ख० नं० 359/156 तादादी 2.02 हैं० तथा ख० नं० 361/156 तादादी 3.54 हैं० कुल तादादी 5.745 हैं० रोही मौजा किरतान प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्सा में आई जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादीनी सं. 4 ता 6 की दादालाई कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीनी सं. 4 ता 6 हिन्दू धर्म को मानने वाले तथा हिन्दू धर्म की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दादालाई कृषि भूमि में पुत्र/पुत्री/पौत्र व पौत्रीयो को जन्म से ही हक व अधिकार होते है। प्रतिवादी सं. 1 रामसिंह जो कि परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण वादीगण के दादा चेतूराम का स्वर्गवास होने के बाद उक्त दादालाई कृषि भूमि में नामान्तरकरण संख्या 167 दिनांक 8.7.98 तथा इन्तकाल संख्या 78 रोही ग्राम किरतान वादीगण के पिता, चाचा, दादी, भुवा के ब. हि. ब. दर्ज हुआ परन्तु प्रतिवादी सं. 1 कर्ता खानदान होने के कारण हमारा हिस्सा अकेले के नाम हो जाने से अपने आपको अकेला सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार मानने लगा है तथा वादीगण को डेलानिया धमकी देता है कि उक्त कृषि भूमि मेरे अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिए वादीगण को उनका 1/6-1/6 हिस्सा को काश्त नही करने देगा तथा अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति को रहन, बैय करेगा ऐसी स्थिति में वादीगण अपने 1/6 - 1/6 हिस्से को अलग से राजस्व रिकार्ड में घोषित करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी बार कहा व कहलवाया कि विवादित कृषि भूमि में गलत रूप से अकेले के नाम से दर्ज हिस्सा को वादीगण के हिस्से के मुताबिक 1/6 - 1/6 हिस्सा तथा अपने 1/6 हिस्सा तथा गौण प्रतिवादीनी सं. 4 ता 6 के प्रत्येक के 1/6 - 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने ऐसा मानने से दिनांक 30.3.19 को बमुकाम किरतान में साफ इन्कार कर दिया लिहाजा इसी दिनांक से वादीगण को वाद कारण व वादाधार हासिल है। विवादित कृषि भूमि बैंक के हक में रहन है मगर वाद पत्र के अनुतोष में विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन बदस्तूर रखी जा रही है जिस कारण बैंक आवश्यक पक्षकार नही होने से बैंक के हित प्रभावित नही होते है जिस कारण बैंक को पक्षकार

वाद संयोजित नहीं किए गए हैं। लिहाजा घोषित किया जाने कि विवादित कृषि भूमि ख०नं० 359/156 तादादी 2.0200 है० ख०नं० 361/156 तादादी 3.54 है०, ख०नं० 497/155 मीन तादादी 0.0250 है० व ख०नं० 499/363 तादादी 0.1600 है० कुल तादादी 5.745 है० रोही मौजा किरतान में वादीगण प्रत्येक 1/6-1/6 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 1/6 हिस्से का तथा गौण प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 का प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है आदि-आदि पेश कर इसी अनुरूप घोषित किया जा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का अनुतोष चाहा गया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्रतिवादीगण को मशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 स्वयं हाजिर अदालत हो कर इकबाल दावा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार विवादित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 के परिवार की पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पूर्व में वादीगण के दादा टोडराम के खातेदारी की रही है तथा विरासतन इन्तकाल के द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी में दर्ज हुई है जिस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादी सं. 1 व गौण प्रतिवादी सं. 4 ता 6 के द्वारा प्रस्तुत इकबाले दावा से होती है तथा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार बैंक के हित प्रभावित नहीं होते हैं ऐसी सूरत में वाद वादीगण प्रस्तुत इकबाल दावा से पुख्ता प्रमाणित होता है जिस कारण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख०नं० 359/156 तादादी 2.02 है० ख०नं० 361/156 तादादी 3.54 है० ख०नं० 497/155 मीन तादादी 0.0250 है० ख०नं० 499/363 तादादी 0.16 है० कुल तादादी 5.745 है० रोही मौजा किरतान तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादीगण प्रत्येक 1/6-1/6 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 1/6 हिस्सा का तथा गौण प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 का प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। विवादित कृषि भूमि संबंधित बैंक के रहन बदस्तूर रहेगी। खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.19 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)